कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री सुरेश चन्द्र यादव अधिवक्ता, 39 A, गिरजा नगर, 37, B.P.A.C. रोड, कानपुर।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**92 / 10**
प्रार्थी की ओर से	**श्री सुरेश चन्द्र यादव, अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-92 / 10, दिनांक 8.9.10 प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा वनस्पति और रिफाइन्ड आयल को शत प्रतिशत के अनुपात में हाथों से मिक्स करके और उसमें अर्टिफिशयल सुगन्ध मिलाकर सामिधा तैयार की जाती है जिसका उपयोग हवन सामग्री के रूप में किया जायगा ऐसी पूजन सामग्री (सामिधा) पर कर की दर जाननी चाही गयी है ?

2. फर्म की ओर से श्री सुरेश चन्द्र यादव, अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा श्री गोपाल गोल्ड का पैक्ड बाइ वृजधाम इन्टरप्राइजेज, शिवपुर, वाराणसी-यू0 पी0 का सैम्पल प्रस्तुत किया गया जिसमें Non Edible Oil, Deep Jalane Ke Liye अंकित है। उक्त के निर्माण में वनस्पति घी व रिफाइन्ड ऑयल व अर्टिफिशयल सुगन्ध मिलाकर घी जैसा तैयार किया जाता है तथा इसका प्रयोग दीप जलाने के लिए व हवन में प्रयुक्त होता है। उपस्थित अधिवक्ता ने बताया कि चूँकि उक्त का उपयोग हवन में होता है अत: यह एक प्रकार की हवन सामग्री (सामिधा) है अत: इसे उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1 की प्रविष्टि संख्या-41 के अन्तर्गत हवन सामग्री होने के नाते कर मुक्त होना चाहिए।

3. कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

4. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, पत्रावली एवं अभिलेखों आदि का अवलोकन किया गया। पाया गया कि व्यापारी द्वारा निर्मित वस्तु न वनस्पति घी है और न ही रिफाइन्ड ऑयल है तथा दोनों को व अन्य वस्तुओं को मिक्स करके घी जैसा बनाया जाता है तथा वह खाने योग्य भी नहीं होता है। यद्यपि उक्त का प्रयोग पूजन में किया जा सकता हो, परन्तु उक्त को हवन सामग्री नहीं कहा जा सकता। घी के रूप में बनायी गयी उक्त वस्तु खाने वाली वस्तु भी नहीं है। अत: यह वस्तु निश्चित रूप से एक नयी वस्तु है जिसका उल्लेख अनुसूची-1, 2, 3 व 4 में नहीं है। अत: उक्त वस्तु अनुसूची-5 के अन्तर्गत आने के कारण, अवर्गीकृत होने के कारण, 12.5% की दर से करदेयता निर्धारित की जाती है।

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 3 दिसम्बर, 2010

ह0 / 3.12.2010

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।

3.12.10

प्रमाणित प्रतिलिपि